# उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

## राज्यसात अपील वाद संख्या–12/2019

चितपुरनी स्टील प्रा0 लि0

–बनाम–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| दिनांक :- 28/09/2022 | प्रस्तुत मामला सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा राज्यसात वाद संख्या 1(E)/2019 (GF No. 31/2019 में दिनांक 16.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर है।<br><br>अपीलार्थी चितपुरनी स्टील प्रा0 लि0 (बजरंग लाल अग्रवाल) की ओर से प्राधिकृत प्रमोद कुमार सिंह अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील आवेदन समर्पित कर राज्यसात वाद संख्या 1(E)/2019 में सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 16.08.2019 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।<br><br>निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया, वाद का सारांश यह है कि हजारीबाग रेंज के वन अधिकारियों को दिनांक 12.01.19 को सूचना मिली कि मरहन्द अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के प्लॉट नं0 436 में झारखण्ड सेल्स एजेन्सी प्रा0लि0 के द्वारा अतिक्रमण कर फैक्ट्री स्थापित किया गया है। फलस्वरूप वन कर्मचारियों के द्वारा कारखाने पर छापा मारा गया एवं वाहन ट्रक संख्या (पंजीकरण संख्या) JH24C-4663 एवं उसपर लदे Iron Pellets जप्त कर लिया गया। वनरक्षी के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 30, 33 एवं 63 के तहत किए गए अपराध के लिए अपराध रिर्पोट संख्या 4748 एवं 4749 दिनांक 12.01.2019 के तहत मामला दर्ज किया गया। | |

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

उक्त वाहन को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) के धारा 52 एवं 52 (डी) के तहत जप्त कर लिया गया। बीट अधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त पाया गया कि अधिसूचित वन क्षेत्र मरहन्द के प्लॉट नं0 436 में एक स्पंज आयरन फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित है। इस फैक्ट्री में छापा मारने के क्रम में उक्त वाहन ट्रक संख्या JH24C-4663 एवं उसपर लदे Iron Pellets को जप्त किया गया।

प्रासंगिक फैक्ट्री वन भूमि पर संचालित होने एवं उक्त कार्य में सहभागिता के आरोप में वाहन को वन प्रमण्डल पदाधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2019 के द्वारा राज्यसात किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि प्रश्नगत मामले में वाहन की जप्ती भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (डी) के तहत किया गया है। धारा 52 (डी) के तहत जप्ती के लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं इससे अन्यून स्तर के पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं, जबकि प्रश्नगत मामले में वाहन की जप्ती वनरक्षी के द्वारा किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत मामले में कोई भी वन उपज की जप्ती नहीं की गयी है, अर्थात जप्त वाहन पर कोई भी वन उपज लदा हुआ या वाहन के साथ कोई भी वन उपज जप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार वन उपज की जप्ती के बिना वाहन की जप्ती नियम विरूद्ध है। इसके लिए विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा–52 (डी) के उदृत करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया कि उक्त धारा के पठन से यह स्पष्ट होता है कि वन अपराध किसी भी वन उपज के मामले में घटित होता है कि तभी ऐसे मामले में मशीन एवं अन्य उपकरण की जप्ती की जा सकती है

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

अर्थात वन उपज की जप्ती आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिन्दु है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि चितपुरनी स्टील प्रा0 लि0 के द्वारा संबंधित वाहन से झारखण्ड सेल्स एजेन्सी प्र0 लि0 (स्पंज फैक्ट्री) में Iron Pellets को Transportation के क्रम में ले जाया गया था। साथ ही अपना यह भी पक्ष रखा गया कि झारखण्ड सेल्स एजेन्सीज प्रा0लि0 नाम की उक्त फैक्ट्री कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी है जो सरकार के द्वारा फैक्ट्री को संचालित करने से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के तहत नियंत्रित होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक को यह मानने का पुख्ता कारण है कि फैक्ट्री वन भूमि पर संचालित नहीं हो रहा है।

विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि पर एक लम्बी अवधि से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। प्रासंगिक फैक्ट्री सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन विभिन्न प्रकार की वैधानिक अनुमति प्राप्त कर लम्बी अवधि से संचालित किया जा रहा है।

संबंधित फैक्ट्री के संचालन हेतु वर्ष 2008 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय झारखण्ड सरकार द्वारा वायु प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया था तथा वर्ष 2017 में नवीकरण भी किया गया था।

वर्णित स्थिति में आवेदक को प्रश्नगत फैक्ट्री के वन भूमि पर संचालित होने अथवा वन अपराध किए जाने का संदेह प्रकट किए जाने का कोई उचित कारण नहीं बनता है। अतः यह मामला पूरी तरह से 52 (5) से आच्छादित है।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना यह भी पक्ष रखा गया कि संबंधित फैक्ट्री के मालिक के द्वारा मौजा मरहन्द के खाता नं0 90 प्लॉट नं0 436 हाल प्लॉट नं0 436/1 रकबा 2.77 एकड़ भूमि डीड नं0 3747/3563 दिनांक 11.08.2008 द्वारा क्रय किया गया था, जिसपर कटकमसांडी अंचल के दाखिल खारिज वाद संख्या 1086 दिनांक 01.09.2008 से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की ग[illegible] कार्रवाई के बारे [illegible] टिप्पणी तारीख सहि[illegible] |
|---|---|---|

निर्गत किया गया था, फलस्वरूप सभी संबंधित विभाग से पंजीकृत कराने एवं वन एवं पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त कर वर्षों से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था।

सुनवाई के क्रम में विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बोला गया कि राज्यसात करने का मुख्य आरोप है कि अपीलार्थी के वाहन का प्रयोग वन भूमि पर फैक्ट्री के संचालन के लिए किया जा रहा था। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर फैक्ट्री संचालन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में संचालित फैक्ट्री के वाहन का उपयोग करना प्रथम द्रष्टया वन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा एवं उसपर लगे आरोप को प्रमाणित माना जाएगा।

निम्न न्यायालय यथा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा पारित अपने–अपने उक्त वाहन को राज्यसात करने का मुख्य आधार निम्न प्रकार बनाया गयाः–

*"Having examined the matter and giving consideration to the magnitude of the issue, it was found that the submission made on behalf of the petitioner cannot be accepted since no original agreement of transportation has been produced and the learned lowyer submitted that the aforesaid vehicle was given on hire to Jharkhand Sales Agencies Pvt. Ltd. as the factory had valid license and all the necessary clearances.*

इस प्रकार उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी भूमि पर लंबी अवधि से फैक्ट्री का संचालन हो रहा है

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम संo और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की व कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स |
|---|---|---|

एवं वन विभाग द्वारा कोई कारवाई लंबी अवधि तक नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में भी सामान्य नागरिक के लिए यह मानना की फैक्ट्री वन भूमि पर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर संचालित है, कठिन है। उक्त फैक्ट्री लम्बी अवधि से संचालित था एवं फैक्ट्री मालिक के द्वारा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार का क्लियरेंस प्राप्त किया गया है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (5) प्रावधान किया गया है कि :–

*" No order of confiscation under sub-section (3) of any tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article (other than timber or forest produce seized) shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorized officer that any such tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article were used without his knowledge or connivance or, as the case may be, without the knowledge or connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of the objects aforesaid for commission of forest offence."*

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना यह भी पक्ष रखा गया कि पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग के अन्तर्गत मौजा ढेंगुरा के खाता नं0 264/293, प्लॉट नं0 2455 रकबा 19.55 एकड़ एवं प्लॉट नं0 2447 रकबा 1.75 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण वाद की कार्यवाही की गई थी, से संबंधित मामला में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रांची द्वारा डब्लू पी0 सी0 न0 5318/2017 श्याम किशोर गुप्ता–बनाम–झारखण्ड सरकार द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग में दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न आदेश पारित किए गए हैं:–

In view of the *provisions contained in Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court rendered in the case of T. Godavarman (Supra.), it is abundantly clear that Section 2 of the*

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम संं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

*Act, 1980 is applicable to the -9- government as well as the private forest land so as to check/restrict deforestation which ultimately results in ecological imbalance. The term 'Forest' will not only mean forest as understood in the dictionary sense but will also include the land recorded as*

*forest in the government record irrespective of its ownership. Thus, the purpose of Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980 is to check deforestation irrespective of the fact that the land is owned by the government or by a private person. Nevertheless, a land encroachment proceeding cannot be initiated against any land owner alleging violation of the provisions of Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980 or the judgment of the Hon'ble Supreme court rendered in the case of T. Godavarman (Supra.), since the land encroachment proceeding is only meant for removal of encroachment from any public land.*

*. However, the respondents are at liberty to take appropriate recourse before the civil court of competent jurisdiction, if they claim the title of the government over the said land.*

अपीलार्थी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (5) के तहत वन अपराध से मुक्त करने के संबंधित दावा पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट टिप्पणी/निष्कर्ष नहीं की गई है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उक्त आदेश में धारा 52 (5) को पूर्णतः नजर अंदाज किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के वाहन जप्ती के क्रम में अधिनियम की धारा 52(डी) का उल्लंघन किए जाने, राज्यसात का आदेश पारित करने के क्रम में धारा 52 के तहत वन उपज की जप्ती से संबंधित आवश्यक कारण विद्यमान नहीं होने एवं मामला धारा 52 (5) में से आच्छादित पाये जाने के कारण अपीलवाद स्वीकृत किया जाता है एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी के दिनांक 16.08.19 को पारित राज्यसात आदेश को निरस्त किया जाता है।

28/9/22

उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.31 13:55:47 +05:30
Location: 192.168.1.39

अनुमोदित एवं संशोधित

28/9/22

उपायुक्त, हजारीबाग